संचालनालय महिला एवं बाल विकास, म.प्र.

"विजयाराजे वात्सल्य भवन" 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष – 0755–2550928, 2550910 फैक्स – 0755–2550912

ई–मेलःcommwcd@mp.nic.in वेबसाइड : www.mpwcdmis.gov.in

क्रं./मबावि/पोषण आहार/2019–20/क्यू भोपाल, दिनांक 4/04/2020

प्रति,

कलेक्टर
जिला–समस्त
मध्यप्रदेश।

विषयः– नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु किये गये टोटल लॉक डाउन के दौरान आंगनवाड़ी सेवाओं से सम्बंध हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–

1. मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक/2101 एवं 2103/2830/2018/50–2/(ऐ.एन.) भोपाल, दिनांक 12.09. 2018
2. मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक/पोषण आहार/541 भोपाल, दिनांक 27.03.2020
3. मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक/पोषण आहार/4400.4001 भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2020।

कृपया मध्यप्रदेश शासन के संदर्भित पत्रों का अवलोकन कीजिये। नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु प्रदेश के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों को अवधि एवं टोटल लॉक डाउन की अवधि तक बन्द रखने का निर्देश दिया गया है। इस अवधि में आंगनवाड़ी सेवाओं से सम्बद्ध हितग्राहियो 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे एवं गर्भवती/धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार को निर्बाध रूप से प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करना हैं।

राज्य स्तर पर आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार प्रदाय की समीक्षा करने के दौरान देखने में आया है कि जिलों के कई आंगनवाड़ी केन्द्रों के हितग्रहियों को पूरक पोषण आहार का प्रदाय निर्देशानुसार नही किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में शासन द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत पूरक पोषण आहार व्यवस्था के सम्बंध में जिला कलेक्टर को पूर्ण अधिकार प्रदत्त किया गया है। आपसे अनुरोध है कि जिले में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार एवं शासन के निर्देशों के अनुरूप जिला स्तर पर निर्णय लिया जा कर आंगनवाड़ी कन्द्रों में प्रति हितग्राही

प्रति दिवस व्यय की सीमा तथा निर्धारित मापदण्डानुसार रेडी–टू–ईट/अन्य स्थानीय विकल्प के रूप में पूरक पोषण आहार का प्रदाय सभी हितगाहियों (6 मााह से 6 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चें एवं गर्भवती व धात्री माताएं) को किया जावे।

अतः उक्तानुसार प्रति हितग्राही स्थिति में आंगनवाड़ी सेवा से सम्बद्ध हितग्राहियो 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे एवं गर्भवती/धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार हेतु निर्बाध रूप से प्रदाय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(नरेश पाल कुमार)
आयुक्त
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश

पृष्ठा.कं./म.बा.वि./पोषण आहार/2019–20/क्यू **भोपाल, दिनांक /04/2020**

1. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. जिला कार्यक्रम अधिकार, जिला समस्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश